रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032024-253293
CG-DL-E-21032024-253293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946
No. 212]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2024

सा.का.नि. 226(अ).— कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 866 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पहले, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 29 नवंबर, 2023 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अत: , अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 10 के उपनियम (3क) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु व्यक्ति जो ग्लाइफोसेट और उसके संजातो के उपयोग के साथ कीट नियंत्रण प्रचालनों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करता है, उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई मानी जाएगी, यदि अनुज्ञापन अधिकारी ने उसे ऐसे ग्लाइफोसेट और इसके संजातो का उपयोग करने वाले प्रचालन के सभी स्थानों के लिए एक हजार रुपये की फीस के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की है।"

[फा. सं. 13035/19/2019-पीपी-1]

फैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 1650 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 37 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2024 संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2024

G.S.R. 226(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 866 (E), dated the 29th November, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 29th day of November, 2023;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 10, in sub-rule (3A), in clause (i), following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that a person who applies for grant of licence to undertake pest control operations with the use of Glyphosate and its derivatives shall be deemed to have been granted a licence, if the licensing officer did not grant him licence after the expiry of a period of thirty days from the date of submission of his application with a fee of one thousand rupees for all places of operation using such glyphosate and its derivatives."

[F. No. 13035/19/2019-PP-I]

FAIZ AHMAD KIDWAI, Addl. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was amended *vide* G.S.R. 37 (E) dated 12th January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.21 23:04:20 +05'30'